मनिंदरजीत सिंह बिट्टा

बनाम

विजय छिब्बर और अन्य

(अवमानना याचिका (सी) संख्या 483/2013)

13 जुलाई, 2016

[टी. एस. ठाकुर, सीजेआई, आर. के. अग्रवाल और आर. भानुमति, जे.]

न्यायालय की अवमानना अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवज्ञा में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) योजना के कार्यान्वयन के मुद्दे को उजागर करते हुए अवमानना याचिका दायर की गई- आरोप है कि प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता एचएसआरपी योजना को उसकी वास्तविक भावना में लागू करने में विफल रहे और यह सुनिश्चित नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कार्यान्वयन और टेंडर की शर्तों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मेसर्स उत्सव और उसके कंसोर्टियम भागीदारों के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई न करके कानून द्वारा उन पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा - माना गया: जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 8.12.2011 के आदेश के अनुसार, एचएसआरपी के निर्माण के लिए उप-अनुबंधों की अनुमति नहीं थी - मेसर्स उत्सव ने एक एजेंसी को काम आउटसोर्स किया था - प्रथम दृष्टया सीएमवी नियमों के नियम 50 का उल्लंघन था - मेसर्स उत्सव ने दिया इस आशय का एक वचन पत्र कि भविष्य में यह खाली प्लेट निर्माण को जॉबवर्क के रूप में आउटसोर्स नहीं करेगा और एचएसआरपी योजना अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू की जाएगी - मेसर्स उत्सव द्वारा दायर किए गए वचन और पारित होने के मद्देनजर समय के साथ, अवमानना की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाती है -

हालाँकि संबंधित राज्यों को उल्लंघन के लिए मेसर्स उत्सव या संबंधित एसपीवी के खिलाफ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई है, यदि कोई हो, तो नोटिस किया गया या उसके ध्यान में लाया गया - एचएसआरपी योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश / दिशानिर्देश जारी किए गए - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 - नियम 50

न्यायालय ने अवमानना याचिकाओं का निपटारा करते हुए, *अभिनिर्धारित किया*

1. याचिकाकर्ता का आरोप है कि हालांकि मेसर्स उत्सव ने ए. आर. ए. आई. (परीक्षण एजेंसी) को केवल दो विनिर्माण संयंत्रों यानी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अस्तित्व के बारे में सूचित किया है, लेकिन रिक्त उच्च सुरक्षा प्लेटों का निर्माण मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असम के एक संयंत्र में मेसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को काम आउटसोर्स करके किया जाता है। दिनांकित 08.12.2011 आदेश उस ठेकेदार द्वारा उप-अनुबंध देने की अनुमति नहीं देता है जिसे एच. एस. आर. पी. के निर्माण और निर्धारण का अनुबंध दिया जाता है और तदनुसार अवमानना याचिका का संज्ञान लिया जाता है। [पैरा 14] (946-जी-एच; 947-ए]

2. मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को या तो मेसर्स लिंकप्वाइंट या मेसर्स रोसमर्टा के साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) में प्रवेश करके कम से कम सात राज्यों में एच. एस. आर. पी. के निर्माण के लिए निविदा मिली है। [पैरा 22] [950-एच]

3. अनुमोदन प्रमाणपत्र (टी. ए. सी.) और उत्पादन की अनुरूपता (सी. ओ. पी.) का प्रकारः एक बार जब किसी व्यक्ति को एच. एस. आर. पी. के निर्माण के लिए सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे बोलीदाता को निर्माण शुरू करने से

पहले परीक्षण एजेंसी से टी. ए. सी. और सी. ओ. पी. प्राप्त करना होता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 50 पंजीकरण चिह्नों के प्रदर्शन के रूप और तरीके का प्रावधान करता है। नियम 50 परीक्षण एजेंसी को एच. एस. आर. पी. के निर्माण के लिए व्यक्तिगत निर्माता को टी. ए. सी. देने के लिए अधिकृत करता है। वर्तमान में, टीएसी जारी करने के लिए चार परीक्षण एजेंसियां हैं जिनमें भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान संघ (ए. आर. ए. आई.); वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वी. आर. डी. ई.); केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी. आर. आर. आई.), नई दिल्ली शामिल हैं। टीएसी के लिए आवेदन करने के लिए एचएसआर प्लेटों के निर्माण के पूरा होने के बाद एचएसआर प्लेटों के निर्माण के लिए सफल बोलीदाता को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और नियमों के तहत विनिर्देशों के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त प्लेटों के प्रोटोटाइप नमूने जमा करने होंगे। ड्राइंग के अनुमोदन की संक्षिप्त जांच के बाद, प्रत्येक निर्माता को संस्थान द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त प्लेटों के प्रोटोटाइप नमूने जमा करने होंगे। एच. एस. आर. पी. नमूनों का परीक्षण और मूल्यांकन राजपत्र अधिसूचनाओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार होगा। [पैरा 23] (951-जी-एच; 952-ए-सी]

4. विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त और निरीक्षण दल की रिपोर्ट से यह देखा गया है कि मेसर्स रोसमर्टा किसी भी राज्य में तकनीकी भागीदार या वित्तीय भागीदार (दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर) नहीं है, जहां मेसर्स उत्सव को एच. एस. आर. पी. के निर्माण की निविदा मिली है। 2001 के एच. एस. आर. पी. आदेश के अनुसार, एच. एस. आर. पी. को परीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। असम राज्य में मेसर्स रोजमेर्टा की विनिर्माण इकाई को किसी भी परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। सी. ओ. पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, एच. एस. आर. पी. के निर्माता को उस परीक्षण एजेंसी को सूचित करना होता है जिसने निर्माण शुरू होने

के एक महीने के भीतर टी. ए. सी. को मंजूरी दी थी और उसके बाद हर पंद्रह लाख प्लेटों के निर्माण के बाद या दो साल जो भी पहले हो, उसे सूचित करना होता है। निरीक्षण दल की दिनांक 29.11.2013 की रिपोर्ट के अनुसार, मेसर्स रोसमर्टा-असम प्लांट ने कुल 5725221 रिक्त एच. एस. आर. पी. का निर्माण किया था और सभी राज्यों के संघ भागीदारों को वितरित किया था। हालांकि, मेसर्स रोसमर्टा को परीक्षण एजेंसी से सीओपी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जाहिर है कि मिस रोसमर्टा असम संयंत्र में निर्मित एचएसआरपी को परीक्षण एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता था। [पैरा 25) (953-सी-ई)

5. सी. एम. वी. नियमों के नियम 50 और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रतीत होता है। सवाल यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उत्तरदाताओं/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मेसर्स उत्सव ने इस आशय का वचन दिया है कि भविष्य में वह खाली प्लेट निर्माण को नौकरी के रूप में आउटसोर्स नहीं करेगा और एच. एस. आर. पी. योजना अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू की जाएगी। मेसर्स उत्सव द्वारा दायर किए गए वचन और समय बीतने के कारण अवमानना की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाती है। हालाँकि, संबंधित राज्यों के लिए यह खुला है कि वे मेसर्स उत्सव या संबंधित एस. पी. वी. के खिलाफ उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए आगे बढ़ें या उसके संज्ञान में लाए जाएं। प्राधिकरण के निर्देशों के निरंतर गैर-अनुपालन और वैधानिक उल्लंघनों को देखते हुए, मध्य प्रदेश राज्य ने रियायत समझौते को समाप्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने मैसर्स रोसमर्टा एच. एस. आर. पी. वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस न्यायालय की वैधानिक योजना और आदेशों के गैर-अनुपालन/उल्लंघन के लिए दिनांकित 10.03.2014 का कारण बताएँ नोटिस भी जारी किया। दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों के लिए यह खुला है कि वे इस न्यायालय की

वैधानिक योजना और आदेशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में रियायत समझौते के धारकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। [पैरा 27,28] (954-बी-सी; 955-ए-बी, डी-ई]

6. याचिकाकर्ता की मुख्य चिंता यह है कि मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास ए. आर. ए. आई. द्वारा जारी टी. ए. सी. है, को अपने संयंत्र में एच. एस. आर. पी. का निर्माण करना है और वह अन्य संघ भागीदारों अर्थात् मेसर्स मेसर्स को अधूरी प्लेट या नौकरी नहीं दे सकता है। लिंकप्वाइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो विभिन्न राज्यों में अवैध एच. एस. आर. पी. बेच रहे हैं। मेसर्स की गतिविधियों में ए. आर. ए. आई. की अब तक कोई भूमिका नहीं है। लिंकप्वाइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड संबंधित हैं। ए. आर. ए. आई. ने कहा है कि नौकरी के काम में इसकी कोई भूमिका नहीं है। उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड अपने कब्जे में सभी सुरक्षा सुविधाओं पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करेगा और खुले बाजार में पंजीकरण प्लेट पर किसी भी सुरक्षा सुविधा के उपयोग के लिए या तो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिम्मेदार होगा। वैधानिक अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाने के लिए, एच. एस. आर. पी. योजना [पैरा 30,34] [956-ई. जी. 957-एफ)] के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ और अन्य। (2012) 1 एस. सी. सी. 707; मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ और अन्य। 2012 (4) एस. सी. सी. 568:12 (1) एस. सी. आर. 874; मेसर्स रोज़मेर्टा टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड 2012 (1) एस. सी. सी. 707-निर्दिष्ट।

<u>मामला विधि संदर्भ</u>

(2012) 1 एससीसी 707	संदर्भित	पैरा 1
(2012) 1 एससीआर 874	संदर्भित	पैरा 1, 10
(2012) 1 एससीसी 707	संदर्भित	पैरा 10

सिविल मूल अधिकारिता : सिविल याचिका संख्या 510/2005 में अवमानना याचिका (सी) संख्या 483/2013

के साथ

सिविल याचिका संख्या 510/2005 में अवमानना याचिका संख्या 3/2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

मनीनिंदर सिंह, ए. एस. जी., अरविंद वर्मा, पारस कुहाड़, संजीव सेन, कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुयनाराना सिंह, ए. ए. जी., सुरैन उप्पल, हरि हरन, सुश्री चारू माथुर, अजय शर्मा, एस. वसीम ए. कादरी, सुश्री गुणवंत दारा, जैद अली, सुश्री सुनीता शर्मा, डी. एस. माहरा, पीयूष कुमार, सुश्री वंशजा शुक्ला, आदित्य नारायण सिंह, समीर अली खान, सी. डी. सिंह, दर्पण भुइयां, अनीप सचठे, साकार सरदाना, सुश्री शगुन मट्टा, सुश्री प्रगति नीखरा, एस. एस. शम्शेय, अमित शर्मा, संदीप सिंह, मिलिंद कुमार, एस. उदय कुमार सागर, कृष्ण कुमार सिंह, सुश्री बीना माधवन, कुन अल चीमा, सुश्री आशा गोपालन नायर, ए. पी. मयी, जयेश गौरव, रतन चौधरी, राजेश के. सिंह, संजय के. वेसेन, सौरभ अजय गुप्ता, सौरभ सिंघल, सुनील फर्नांडीस, राघव चड्ढा, आर. एन. करंजावाला, डबमाल्या बनर्जी, जसमीत सिंह, सुश्री ज्योतिका जैन, सुश्री जैमेट सरन, सुश्री तान्या पुज्जी, प्रदीप बख्शी, सुश्री जया खन्ना, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री माणिक करंजावाला, (मेसर्स करंजावाला और मेसर्स करंजावाला के लिए)), जी. एन. रेड्डी, बाला शिवुडू, सुश्री एन. शोभा, श्री राम जे. थलपति, वी. आधिमूलम, शिल्प वी. नोड, जतिंदर कुमार भाटिया, मुकेश वर्मा, श्रीमती रचना गुप्ता, अनिल कुमार, अनुराग

गुप्ता, वेनायगम बालन, प्रवीण चतुर्वेदी, रुद्रेश्वर सिंह, समीर अली खान, अधिवक्ता, उनके साथ उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर. भानुमति, जे. द्वारा दिया गया ।

1. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की योजना (एच. एस. आर. पी.) के कार्यान्वयन के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है, जो इस अदालत के आदेश की अवज्ञा में है, जिसका शीर्षक (2012) 1 एस. सी. सी. 707 है, जिसका शीर्षक है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ और अन्य और (2012) 4 एस. सी. सी. 568 का आदेश जिसका शीर्षक है, जिसका शीर्षक है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ और अन्य, जो 2005 की रिट याचिका संख्या 510 में पारित किया गया था और संबंधित मामले। इन अवमानना याचिकाओं में, याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादियों-प्रतियोगियों ने इस न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया है और इस न्यायालय की निविदा शर्तों और निर्देशों की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके संघ भागीदारों के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं करके कानून द्वारा उन पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

2. अलग-अलग तारीखों पर इस मामले की लंबी सुनवाई हुई। विस्तार में दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का उल्लेख करना आवश्यक है जिसके कारण ये अवमानना याचिकाएं दायर की गईं -2002 में संसद पर आतंकवादी हमले के बाद, आतंकवादियों की गतिविधियों में मोटर वाहनों के उपयोग की जांच करने की तात्कालिकता महसूस की गई थी। इसलिए, केंद्र सरकार ने अपनी तकनीकी समिति की सिफारिश पर एच. एस. आर. पी. की योजना तैयार की, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और वाहन चोरी के बढ़ते खतरे और

हत्या, डकैती, अपहरण आदि जैसे अपराधों में उनके उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। इस स्वीकृत उद्देश्य के साथ, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (संक्षिप्त 'सीएमवी नियम' के लिए) के नियम 50, जो "मोटर वाहनों पर पंजीकरण चिह्नों के प्रदर्शन के रूप और तरीके" से संबंधित है, में केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन नियमों की धारा 64 के तहत अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए संशोधन किया गया था। नियम 50 की संशोधित योजना ने पूर्ववर्ती प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जहां आर. टी. ओ. द्वारा पंजीकरण संख्या दी गई थी और खुले बाजार से प्राप्त सामान्य पंजीकरण प्लेटों को वाहनों पर लगाया गया था। नियम 50 में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था कि संभावित निर्माताओं की तकनीकी क्षमता, पंजीकरण प्लेटों को नियंत्रित जारी करना और एक निर्माता स्वायत्त प्रमाणन एजेंसियों में से एक से प्रकार अनुमोदित प्रमाण पत्र (टीएसी) प्राप्त करने के बाद ही उक्त प्लेटों का निर्माण कर सकता है। वाहन उपयोगकर्ताओं को प्लेटों की आपूर्ति उत्पादन के अनुरूपता प्रमाण पत्र (सीओपी) के अनुदान के बाद ही की जा सकती है।

3. भारत सरकार ने 28.03.2001 को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 41(6) के तहत एमवी नियमों के नियम 50 के साथ एक अधिसूचना जारी की। अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (3) के संदर्भ में। केंद्र सरकार ने 22.08.2001 को एक आदेश जारी किया जो नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों के निर्माण, आपूर्ति और निर्धारण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। केंद्र सरकार ने उक्त आदेश और एचएसआरपी योजना के आगे कार्यान्वयन के लिए दिनांक 16. 10.2001 को एक अधिसूचना भी जारी की। योजना को लागू करने के लिए, विभिन्न राज्य एचएसआरपी के निर्माण और आपूर्ति के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कीं।

4. एक रिट याचिका डब्ल्यू.पी. (सी) 2003 की संख्या 41 को एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स द्वारा इस न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें ऐसी अधिसूचना जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति के साथ-साथ निविदा प्रक्रिया के नियमों और शर्तों को चुनौती दी गई थी। उपरोक्त रिट याचिका के अलावा, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें समान चुनौती दी गई और उन रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। (2005) 1 एससीसी 679 शीर्षक एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य में रिपोर्ट किए गए निर्णय के अनुसार, यह कोर्ट ने 2003 की रिट याचिका (सी) संख्या 41 और अन्य को खारिज कर दिया। मामले, और नियम 50 की वैधता के साथ-साथ निविदा शर्तों को बरकरार रखा। ऐसा करते समय, इस न्यायालय ने योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए कुछ निर्देश भी जारी किये। प्रासंगिक पैरा (31) इस प्रकार है:-

"31. सुरक्षा संबंधी विचारों को सुनिश्चित करने के लिए, किसी क्षेत्र या पूरे राज्य के लिए एकल निर्माता के चयन को उचित ठहराते हुए, निम्नलिखित कारकों को सार्वजनिक हित के रूप में उजागर किया गया है:

I. इस योजना को लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि इस योजना में प्रावधान है कि अनुमोदित निर्माता राज्य आर. टी. ओ. के परिसर का उपयोग करेगा और वी-सैट लिंक निर्धारित करेगा ताकि पूरे राज्य को एक सामान्य मंच पर नेटवर्क किया जा सके।

2. आर. टी. ओ. परिसर में सभी टी. ए. सी. धारकों को जगह और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना राज्य के लिए असंभव होगा।

3. यदि कई निर्माता हैं तो राज्य के लिए किसी भी जालसाजी के स्रोत की पहचान करना मुश्किल होगा। यह योजना में शामिल सुरक्षा विचारों से गंभीर रूप से समझौता करेगा।

4. अलग-अलग निर्माताओं के कारण अलग-अलग निर्माताओं के बीच कीमत में अंतर आएगा।

5. राज्य को नुकसान हो रहा है क्योंकि सभी निर्माता केवल कोलकाता में आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करेंगे और अन्य दूर-दराज के आर. टी. ओ. के पास नहीं जाएंगे जहां वे अपने निवेश पर रिटर्न की वसूली नहीं करेंगे।

6. यदि एक से अधिक निर्माता राज्य के भीतर काम करते हैं, तो इससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मूल्य संरचना में विसंगति और एकरूपता नहीं आएगी।

7. एक से अधिक निर्माताओं से डेटा को आत्मसात करने में कठिनाई अलग-अलग और भ्रमित डेटाबेस संकेतों को जन्म देगी। इस तरह के संवेदनशील और सुरक्षा से संबंधित व्यवसाय को एक समान डेटाबेस प्रबंधन प्रक्रियाओं और एकीकृत मानकीकृत कोडिंग प्रथाओं द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

8. अलग-अलग निर्माताओं का मतलब होगा कि सामग्री की गुणवत्ता और कारीगरी के मामले में भिन्नता होगी।

9. विभिन्न क्षेत्रों के निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और समग्र सुरक्षा-नियंत्रित डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों की कमी के कारण पंजीकरण प्लेटों का संभावित दोहराव।

10. विभिन्न निर्माताओं के आंकड़ों की गैर-अनुरूपता से राज्य के आर. टी. ओ. से आंकड़ों में भ्रम और एकीकरण होगा।

11. निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए किसी एक निर्माता पर जवाबदेही तय करने में कठिनाई।

12. सार्वजनिक डेटाबेस की गोपनीयता से गंभीर रूप से समझौता किया जाएगा।

13. प्रत्येक निर्माता द्वारा आर. टी. ओ. कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रावधान एक लाजिस्टिक दुःस्वप्न होगा और इससे भ्रम पैदा होगा और आगे प्रणाली से गंभीर रूप से समझौता किया जाएगा।

14. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पंजीकरण प्लेट में एक विशिष्ट संख्या होती है, और इसके परिणामस्वरूप, सभी आरटीओ को एक-दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा होना आवश्यक है; यदि विक्रेताओं को फैलाने की अनुमति दी जाती है, तो यह कनेक्शन संभव नहीं होगा, और इससे पूरी तरह से अराजकता पैदा हो जाएगी।

5. यह देखा गया कि निविदा शर्तों में से कोई भी मनमाना और भेदभावपूर्ण नहीं था और पैरा (40) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः -

"40. खुली प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया के माध्यम से एक निर्माता का चयन करना किसी एकाधिकार का निर्माण नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया है, जो उक्त अनुच्छेद के खंड (6) के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। जैसा कि इंगित किया जाना चाहिए, कार्यान्वयन में अत्यधिक परिष्कृत सामग्रियों के संचालन का बड़ा नेटवर्क शामिल है। निर्माता के पास आर. टी. ओ. के परिसर के भीतर एम्बॉसिंग स्टेशन होने चाहिए। उसे प्रत्येक प्लेट का डेटा बनाए रखना होता है जो उसे अपनी मुख्य इकाई से मिलेगा। इसे आर. टी. ओ. डेटा द्वारा क्रॉस-चेक किया जाना है। आर. टी. ओ. के कार्यालय में एक सर्वर होना चाहिए जो प्रत्येक राज्य के सभी आर. टी. ओ. से जुड़ा हो और उस पर पूरे देश से जुड़ा हो। यदि आपूर्तिकर्ताओं के रूप में बहु-निर्माताओं के बजाय एक निर्माता है तो राज्य के लिए रिकॉर्ड का रखरखाव और इसकी गतिविधि पर निगरानी करना आसान होगा। यदि बहु-निर्माता शामिल हैं तो उनके परिसरों में आर. टी. ओ. के माध्यम से योजना का वास्तविक संचालन जटिल

और भ्रमित हो जाएगा। यह वाहनों पर नई प्लेट लगाने में उच्च सुरक्षा अवधारणा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। यदि कोई एकल निर्माता है तो उसे कम वाहनों की आबादी और व्यवसाय की कम मात्रा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जाने और सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बहु-निर्माता केवल अधिक वाहनों की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

6. एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (सुप्रा) में निर्णय के बाद, याचिकाकर्ता ने एचएसआरपी योजना को उसके सही अर्थों में लागू न करने से व्यथित होकर रिट याचिका (सी) संख्या 510 दायर करके मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू किया। 2005 में, इस न्यायालय ने दिनांक 08.05.2008, 05.05.2009, 07.04.2011, 30.08.2011, 13.10.2011, 08.12.2011 और 07.02.2012 को विभिन्न आदेश पारित किए, ताकि योजना की अखंडता और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। और राज्यों और निर्माताओं को विभिन्न निर्देश दिए। इस न्यायालय ने दिनांक 08.05.2008 के आदेश के तहत (2008) 7 एससीसी 328 में रिपोर्ट दी है:

" ...हमें लगता है कि यह सभी संबंधित लोगों के हित में होगा यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बारे में निश्चित निर्णय लेते हैं कि क्या संशोधित नियम 50 और एच. एस. आर. पी. की योजना और अनुसरण किए जाने वाले तौर-तरीकों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।"

7. इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश के बावजूद, अधिकांश राज्य इस योजना को इसकी वास्तविक भावना में लागू करने में विफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आई.ए. दाखिल किया गया। 2005 की रिट याचिका (सी) संख्या 510 में क्रमांक 5, जिसमें आवेदक ने दिनांक 08.05.2008 के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए प्रार्थना की थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ राज्य यह धारणा बना रहे थे मानो उनके पास

संशोधित नियमों को प्रभावी करने का विवेक है। और योजना. दिनांक 05.05.2009 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने माना कि संशोधित नियमों के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है।

8. इसके अलावा, इस न्यायालय के दिनांक 07.04.2011 के एक आदेश द्वारा, (2011) 11 एससीसी 315 में रिपोर्ट किया गया, 2010 के आईए नंबर 10-11 में पारित किया गया, जिसमें राज्यों ने एचएसआरपी योजना के कार्यान्वयन के लिए समय विस्तार की मांग की, इस न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एचएसआरपी योजना को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है और ऐसे राज्यों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि क्यों अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि बहुत पहले निविदाएं जारी किए जाने के बावजूद, कोई आगे कदम नहीं उठाया गया।

9. इसके बाद, (2011) 14 एससीसी 273 में रिपोर्ट किए गए आदेश दिनांक 30.08.2011 के तहत, इस न्यायालय ने फिर से गैर-कार्यान्वयन को गंभीरता से लिया।

" ... हमें खेद हैं कि वर्तमान मामले में स्थिति अनुपालन के विपरीत है। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसने इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित वैधानिक प्रावधानों और योजनाओं के अनुसार योजना को पूरी तरह से सफलतापूर्वक लागू किया हो।...."

10. आदेश दिनांक 13.10.2011 के अनुसार (2012) 1 एससीसी 273 जिसका शीर्षक मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ और अन्य है, इस न्यायालय ने फिर से हरियाणा राज्य द्वारा इस न्यायालय के पहले के आदेश की अवज्ञा पर ध्यान दिया और उन्हें दंडित किया। अवमानना, इस न्यायालय के आदेश की अवज्ञा के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति पर 2,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया और 08.12.2011

के राज्य आदेश पर 50,000/- रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया गया (2012) I SCC 707 शीर्षक में रिपोर्ट किया गया मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ और अन्य, इस न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा दायर हलफनामों का उल्लेख किया और एचएसआरपी योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पैरा (53) में सामान्य निर्देश दिए। पैरा (53.5) में प्रासंगिक निर्देश का उल्लेख करना उचित है जो निम्नानुसार है: -

"5. याचिकाकर्ता और कुछ राज्यों की ओर से हमारे सामने एक सवाल उठाया गया है कि ठेकेदारों ने संघ में निविदा के लिए नोटिस का जवाब दिया है। यह मुख्य रूप से एच. एस. आर. पी. के निर्माण और चिपकाने के लिए विशेष अनुभव की शर्त को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हालांकि, अनुबंध के पुरस्कार के बाद, संघ में विशेषज्ञता (प्रकार अनुमोदन प्रमाण पत्र, अनुमोदन, आदि) रखने वाला भागीदार अनुबंध के प्रदर्शन से बाहर निकल सकता है. इस परिस्थिति में, उद्देश्य ही निराश हो जाएगा। हम इस निवेदन में योग्यता पाते हैं लेकिन इस स्तर पर उस संबंध में कोई निर्देश जारी करने से बचेंगे। किसी मामले के तथ्यों के संदर्भ में और कानून के अनुसार उचित निर्णय लेना संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का दायित्व होगा। प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी संबंधित लोगों के हित में होगा कि विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य सहित संघ के सभी सदस्यों को अनुबंध के निष्पादन तक जारी रहना चाहिए।

11. पैरा (4) से (6) में दिनांकित 08.12.2011 के उपरोक्त आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निविदा कार्यवाही में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को भी दरकिनार कर दिया है और आंध्र प्रदेश राज्य को नए सिरे से निविदा जारी करने, अनुबंध देने और 29.02.2012 द्वारा सकारात्मक रूप से एचएसआरपी योजना का

कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है। 08.12.2011 दिनांकित आदेश के अनुच्छेद (4) से (6) को नीचे पढ़ा गया हैः -

"4. यह आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है कि उसने 8-10-2011 पर निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया और निविदा बोलियों की नियत तारीख 26-11-2011 थी। राज्य का दावा है कि उसने एच. एस. आर. पी. योजना को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है और आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को परियोजना के लिए अंत से अंत तक समाधान शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। इसने निविदा को अलग-अलग खंडों में विभाजित करके एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का निर्णय लिया है, जिसमें एक खंड विनिर्माण के लिए, दूसरा एच. एस. आर. पी. के एम्बॉसिंग, हॉट स्टैम्पिंग और प्रिंटिंग के लिए और दूसरा खंड स्थापना के लिए निगम को इसकी आपूर्ति करने के लिए है।

5. फिर, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया न केवल एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 39 और 40 में निहित निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि दिनांकित 16.09.2011 अधिसूचना के भी विपरीत है। जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 109 की उप-धारा (3) के तहत जारी किया गया था और इसे मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2001 कहा गया। यह आदेश एचएसआरपी योजना को पूरा करने की अनुमति नहीं देता है। इस ढंग से आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अपनाने की मांग की गई। राज्य को ठेका देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम आंध्र प्रदेश राज्य को नई निविदा जारी करने, अनुबंध देने और 29.02.2012 तक योजना का कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश देते

हैं। इसने इस न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अब वह निश्चित रूप से समय-सारणी का पालन करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा।"

12. उक्त आदेश में एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर टिप्पणी की गई और इस न्यायालय ने पाया कि उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, इस न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप नहीं है। पैरा (19) और (20) में एनसीटी दिल्ली सरकार से संबंधित निर्देश निम्नानुसार हैं: -

"19. हालाँकि, कुछ हद तक, दिल्ली सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया इस न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप नहीं है। अब अभिलेख पर दाखिल किए गए दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि डी. आई. एम. टी. एस. ने परियोजना के लिए एक से अधिक विक्रेताओं का चयन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। मसौदा समझौते में यह भी निर्धारित किया गया है कि प्लेट का आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत दिए गए सभी उप-अनुबंधों के बारे में खरीदार को लिखित रूप में सूचित करेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि न तो मोटर वाहन नियम, 1989 (संक्षेप में "नियम"), मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के नियम एस. ओ. और न ही इस न्यायालय के निर्णय उस ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले उप-अनुबंधों को कम करते हैं जिसे एच. एस. आर. पी. के निर्माण और निर्धारण के लिए निर्णीत किया जाता है।

20. इसके अलावा, डी. आई. एम. टी. एस. ने अपने दिनांक 26-11-2011 के हलफनामे में यह कहा है कि डी. आई. एम. टी. एस. अन्य कदम भी उठा रहा है और इसने कार्यान्वयन प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया हैः पहला, नियमों के नियम 50 की पुष्टि करने वाले खाली एच. एस. आर. पी. की खरीद और एम्बॉसिंग द्वारा प्लेटों का वैयक्तिकरण, नंबर प्लेटों की गर्म मुद्रांकन, गुणवत्ता की जांच, तीसरी नंबर प्लेट की छपाई, सेट मिलान, प्रेषण, परिवहन और एच. एस. आर. पी. की स्थापना।

दूसरा, प्रक्रिया को अलग-अलग शीर्षों या भागों में विभाजित करने की अनुमति नहीं है। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि सुरक्षा के हित में पूरी प्रक्रिया के लिए एक व्यक्ति विशेष रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। इस प्रकार, हम यह स्पष्ट करते हैं कि डी. आई. एम. टी. एस., जब वह ठेकेदार से एच. एस. आर. पी. का निर्माण करवा रहा हो, तो ऐसा निर्माण सबसे पहले एक ही ठेकेदार से होना चाहिए और दूसरा, यह डी. आई. एम. टी. एस. के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होना चाहिए। उन्हें उप-ठेकेदारों या अन्य पक्षों को किसी भी तरह से एच. एस. आर. पी. के विनिर्माण प्रसंस्करण और निर्धारण पर नियंत्रण नहीं रखने देना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों पर एच. एस. आर. पी. के निर्माण, मुहर लगाने, नंबरों की छाप और चिपकाने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है।

13. अंत में, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक से (2012) 4 एससीसी 568 में रिपोर्ट किए गए दिनांक 07.02.2012 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने संबंधित फाइलों को भेजकर डब्ल्यू.पी. (सी) 510/2005 का निपटारा किया। उच्च न्यायालयों को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी और पैरा (17) में इसे निम्नानुसार माना गया है: -

"17. रजिस्ट्रार की रिपोर्ट और विभिन्न राज्यों की ओर से दायर हलफनामों का अध्ययन करने के बाद, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(क) जिन राज्यों ने निविदाएं आमंत्रित की हैं, उन्होंने सफल बोलीदाता को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आशय पत्र जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक सफल बोलीदाता के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वे आज से चार सप्ताह के भीतर ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। ये राज्य हैं असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।

(ख) जिन राज्यों ने अब तक निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया है, उन्हें आज से चार सप्ताह के भीतर फिर से ऐसा करना चाहिए। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली (एन. सी. टी.) और पुडुचेरी शामिल हैं।

(ग) एच. एस. आर. पी. की स्थापना एक वैधानिक आदेश है जो न केवल राज्य की सुरक्षा के हित में है, बल्कि एक बहुत बड़े सार्वजनिक हित की भी सेवा करता है। इसलिए, प्रत्येक राज्य के लिए भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 129 के संदर्भ में इस न्यायालय के वैधानिक प्रावधानों/आदेशों का पालन करना न केवल वांछनीय है, बल्कि अनिवार्य भी है। इसलिए, सभी राज्यों को नए वाहनों के संबंध में 30-4-2012 और पुराने वाहनों के लिए 15-6-2012 द्वारा सकारात्मक रूप से अपने पूरे राज्य में एच. एस. आर. पी. के निर्धारण की योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें इस निर्देश के कार्यान्वयन के लिए और समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में निहित निर्देश और विशेष रूप से, दिनांकित 30-8-2011,13-10-2011,8-12-2011 और इस आदेश को बिना किसी चूक के विस्तारित अवधि के भीतर लागू किया जाना चाहिए।

(ङ) चूक की स्थिति में, सचिव (परिवहन)/आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण और/या इस तरह के चूक के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस न्यायालय ने एच. एस. आर. पी. योजना के उल्लंघन के मामले में फिर से इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। यह विशेष रूप से देखा गया थाः -

"18. हम याचिकाकर्ता और/या किसी अन्य व्यक्ति को अवमानना कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यदि अब इस न्यायालय के आदेशों और किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एच. एस. आर. पी. के निर्धारण की योजना और प्रक्रिया के कार्यान्वयन और पूरा करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्य का कोई पालन नहीं किया जाता है।

14. इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता के आधार पर, याचिकाकर्ता ने अब ऊपर चर्चा किए गए इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों, विशेष रूप से दिनांकित 08.12.2011 और 07.02.2012 के आदेशों की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए तत्काल अवमानना याचिकाओं को दायर करके मुकदमे का तीसरा दौर शुरू किया है। इस अदालत ने दिनांक 01.05.2014 के आदेश के माध्यम से कहा कि बोली दस्तावेज के अनुसार, मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (तकनीकी भागीदार) के कारखाने के स्थान का खुलासा प्लॉट नंबर 3ए, चरण-IV, औद्योगिक क्षेत्र, गोलेमठ, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हालांकि मेसर्स उत्सव ने ए. आर. ए. आई. (परीक्षण एजेंसी) को केवल दो विनिर्माण संयंत्रों यानी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अस्तित्व के बारे में सूचित किया है, लेकिन रिक्त उच्च सुरक्षा प्लेटों का निर्माण मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असम के एक संयंत्र में मेसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को काम आउटसोर्स करके किया जाता है।

15. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मेसर्स उत्सव ने नियम 50, बोली की शर्तों और टीएसी और इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लंघन करते हुए असम में एक अनधिकृत इकाई में जॉब वर्क के माध्यम से एचएसआर प्लेटों का निर्माण किया है और ऐसा करके, मेसर्स उत्सव ने जानबूझकर समय-समय पर इस

न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की अवज्ञा की है और प्रतिवादियों ने जानबूझकर इस न्यायालय द्वारा पारित नियमों और आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन होने के बावजूद मेसर्स उत्सव और निजी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुना है। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू न करना अदालत की अवमानना है और उत्तरदाताओं को इस अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के कारण दंडित किया जा सकता है। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने मेसर्स उत्सव, मेसर्स रोसमेर्टा और मेसर्स लिंकपॉइंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके अनुसार 29.10.2013 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में असम इकाई से एचएसआर प्लेट्स के निर्माण और आपूर्ति का जिक्र करते हुए असम स्थित संयंत्र में विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ प्रक्रिया और विनिर्माण गतिविधियों का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए तीन सदस्यों की एक टीम गठित करने का निर्णय लिया गया। आज तक उत्पादित एचएसआर प्लेटों की मात्रा जिसमें शामिल हैं: (i) प्लेटों के आकार और रंग; (ii) लेजर कोड रिकॉर्ड; (iii) सुरक्षा सुविधा रिकॉर्ड और (iv) असम में संयंत्रों की स्थिति, जहां काम किया गया है आदि। तीन सदस्यीय समिति ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.11.2013 को दी। रिपोर्ट के अनुसार, टीम ने देखा कि एक ही परिसर में केवल एक इमारत है जिसका पता 54, ब्रह्मपुत्र औद्योगिक पार्क, सिला, सिला सिंदुरी घोपा चांगसारी, कामरूप, असम है और इसे दो भागों में विभाजित किया गया है; एक हिस्सा मिस के नाम पर रजिस्टर्ड है। उत्सव और अन्य पीएमआई मेसर्स रोसमेर्टा के नाम पर पंजीकृत है। समिति ने पाया कि मेसर्स उत्सव मेसर्स रोसमेर्टा को कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा था, जो बदले में मेसर्स उत्सव द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के साथ जॉब वर्क के रूप में खाली प्लेटों का निर्माण कर रहा था। निरीक्षण के आधार पर, टीम ने अपना निष्कर्ष निम्नानुसार दर्ज किया: -

"निष्कर्ष

• उत्सव आर. ओ. एस. एम. ई. आर. टी. ए. से नौकरी के काम के माध्यम से एच. एस. आर. पी. खाली संचालन को आउटसोर्स कर रहा है। उत्सव द्वारा शुरू से लेकर आज तक लेजर कोडिंग के साथ-साथ सुरक्षा सुविधाओं पर नियंत्रण किया गया था।

• उत्सव गुवाहाटी संयंत्र ने दिसंबर 2012 से अब तक कुल 5673391 एच. एस. आर. पी. प्लेट भेजे हैं और वे नीचे दिए गए हैंः -

- लेजर कोडिंग के साथ और उसके बिना हिमाचल प्रदेश का कारखाना
- लेजर कोडिंग और वितरण के लिए दिल्ली
- लेजर कोडिंग के बाद सभी राज्य कंसोर्टियम भागीदार

• कुल 5673391 पीस एचएसआरपी प्लेटों में से, 19,19,550 एचएसआरपी प्लेटें नवंबर, 2013 के महीने में उत्सव द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन कंपनियों को भेज दी गईं, जबकि 51830 पीस एचएसआरपी उत्सव के गुवाहाटी कारखाने में स्टॉक में हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि मेसर्स उत्सव के बोली दस्तावेज के अनुसार, एचएसआरपी का निर्माण मेसर्स उत्सव के हिमाचल प्रदेश संयंत्र में किया जाना चाहिए था, हालांकि, प्लेटों का निर्माण असम में एक अनधिकृत इकाई में किया गया था और इस प्रकार यह उप-ठेके का एक स्पष्ट मामला है। मेसर्स उत्सव, जिसे टीएसी और सीओपी प्रदान किया गया है, के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के बिना किए गए कार्य और इस न्यायालय के नियम 50 और आदेशों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला सामने आता है।

16. याचिकाकर्ता का वकील एनसीटी दिल्ली की जांच समिति की दिनांक 31.01.2014 की रिपोर्ट पर भी भरोसा करता है, जिसमें दिल्ली एनसीटी में अनुमोदित निर्माता (यानी, मेसर्स उत्सव-टेक्निकल पार्टनर और कंसोर्टियम) द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लंघन की सूचना दी गई थी। मेसर्स रोसमेर्टा-फाइनेंशियल पार्टनर)। ऐसा कहा गया है

कि दिल्ली के एनसीटी ने मेसर्स उत्सव यानी मेसर्स रोसमेर्टा के कंसोर्टियम को दिनांक 10.03.2014 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि "एसपीबी के तकनीकी भागीदार मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति नहीं कर रहे हैं।" 10.08.2013 के बाद कोई खाली एचएसआर प्लेट और यह भी आरोप लगाया गया कि मैसर्स रोसमेर्टा टेक्नोलॉजीज द्वारा अप्रमाणित एचएसआरपी की खरीद/आपूर्ति/लगाई जा रही है।

17. इसके अलावा, याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त को संबोधित उत्सव के दिनांक 17.10.2013 के पत्र पर भरोसा करता है जिसमें मेसर्स उत्सव ने स्वीकार किया है कि उसके रियायतग्राही भागीदारों ने अप्रमाणित और अनधिकृत एचएसआरपी की आपूर्ति की है। परिवहन आयुक्त, दिल्ली सरकार को संबोधित दिनांक 17.10.2013 के उक्त पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> " .. .यह आपके ध्यान में लाया जाना चाहिए कि मेसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एस. पी. वी. में अन्य हितधारक है, मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से ब्लैंक नंबर प्लेट की खरीद और राज्य में वाहनों के लिए उसी की आपूर्ति एम्बॉसमेंट और फिक्सिंग से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मेसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने रियायत समझौते की आड़ में मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राज्य के वाहन मालिकों को मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एच. एस. आर. पी. को लिए बिना और अप्रमाणित और अनधिकृत एच. एस. आर. पी. की आपूर्ति का सहारा लिए बिना बड़ी मात्रा में एच. एस. आर. पी. की आपूर्ति की है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा गुवाहाटी, असम में

स्थापित विनिर्माण प्रतिष्ठान को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (इसके बाद 'ए. आर. ए. आई.' के रूप में संदर्भित) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, इसलिए वहां से की गई एच. एस. आर. पी. की कोई भी आपूर्ति प्रथम दृष्टया नियम 50 और भारत के किसी भी राज्य में एच. एस. आर. पी. की आपूर्ति के लिए प्रकार अनुमोदित निर्माता के चयन के अंतर्निहित मानदंडों का उल्लंघन होगी।"

वकील ने तर्क दिया कि इसी तर्ज पर, मेसर्स उत्सव ने मेसर्स लिंकप्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि रियायत समझौते की आड़ में, मेसर्स लिंकप्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने संबंधित राज्यों में अनधिकृत रूप से गैर-प्रमाणित नंबर प्लेटों का निर्माण और आपूर्ति की थी और इस तरह सीएमवी नियमों के नियम 50 और इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का भी उल्लंघन किया था। इसके बाद, मैसर्स उत्सव और मैसर्स लिंकप्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 19.03.2014 के समझौते द्वारा अपने सभी विवादों का समाधान किया है और उनके आपसी विवादों के संबंध में अंतिम समाधान पर पहुंचे हैं।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोली दस्तावेज के अनुसार एकमात्र संयंत्र जिसे मंजूरी दी गई थी, वह बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश संयंत्र था और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि 5725221 खाली एच. एस. आर. प्लेटों का निर्माण और आपूर्ति असम में अनधिकृत और अप्रमाणित संयंत्र से की गई थी और असम में उक्त संयंत्र को कोई मंजूरी नहीं दी गई थी और यह नियम 50 और इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है और इस तरह का उल्लंघन मौजूदा वैधानिक मानदंडों का पालन करने के लिए प्रतिवादी की प्रशासनिक सजा की कमी के कारण है और इसलिए याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही

शुरू करने का अनुरोध किया और अन्य बातों के साथ-साथ एच. एस. आर. पी. आदेश 2001 के सख्त अनुपालन के लिए विभिन्न निर्देशों के लिए भी प्रार्थना की।

19. प्रतिपक्षी के अनुसार, प्रतिवादियों के वकील ने अवमानना याचिकाओं में आरोपों के जवाब में, इस बात से इनकार करते हुए विभिन्न हलफनामे दायर किए हैं कि इस अदालत के आदेशों की कोई अवहेलना की गई है। उत्तरदाता संख्या 1 से 4 की ओर से दायर हलफनामे में यह कहा गया है कि 2001 के सीएमवी नियमों के नियम 50 में 'नौकरी के काम' या उप-अनुबंध पर कोई विशिष्ट रोक नहीं है और यह मोटर वाहन नए एच. एस. आर. पी. आदेश के खंड 4 के उप-खंड (xvii) और (xviii) के अधीन होगा कि निर्माता या आपूर्तिकर्ता हमेशा सभी सुरक्षा सुविधाओं पर नियंत्रण में रहेगा और वह किसी को भी कोई अधूरी प्लेट या सुरक्षा सुविधाएँ नहीं बेचेगा। यह भी कहा गया है कि नौकरी के काम पर पूर्ण प्रतिबंध समयबद्ध तरीके से एच. एस. आर. पी. योजना के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है. यह तर्क दिया गया है कि एच. एस. आर. पी. योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, प्रक्रिया की सुरक्षा से समझौता किए बिना 'नौकरी के काम' के आधार पर काम की कुछ वस्तुओं को निष्पादित करना संभव हो सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 03.02.2014 पर आयोजित ए. आर. ए. आई. और सी. आर. आर. आई. के प्रतिनिधियों की एक बैठक में 'आउटसोर्सिंग' के मुद्दे की जांच की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश 2001 के प्रावधानों को इसके संशोधनों के साथ अन्य फर्मों को विनिर्माण गतिविधियों के आउटसोर्सिंग को रोकने के लिए व्याख्या नहीं की जा सकती है, जब सभी सुरक्षा सुविधाएँ टीएसी निर्माता या आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में हों।

20. वैधानिक एजेंसी अर्थात ए. आर. ए. आई. ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि मेसर्स उत्सव मेसर्स रोसमर्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से किए गए कार्य

के माध्यम से अपने काम को आउटसोर्स कर रहा है। राज्यों ने विभिन्न हलफनामे भी दायर किए हैं जिनमें कहा गया है कि उन्होंने एच. एस. आर. पी. योजना को लागू करने के लिए इस न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की है। कई राज्यों ने अपने जवाबी हलफनामों में नियम 50 के उल्लंघन के लिए कारण दिखाएं नोटिस जारी करके मेसर्स उत्सव के खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेख किया है।

21. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और जवाबी हलफनामों और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री में कथनों का अध्ययन किया है।

22. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में "मेसर्स उत्सव") को या तो मेसर्स लिंकप्वाइंट या मेसर्स रोजमेर्टा के साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) में प्रवेश करके कम से कम सात राज्यों में एचएसआरपी के निर्माण के लिए निविदा मिली है।

मेसर्स उत्सव और एस. पी. वी. संघ भागीदारों को दिए गए अनुबंधों का विवरण इस प्रकार हैः -

S.No.	State	Details of SPV Consortium Partners
i	Himachal Pradesh	एसपीवी मेसर्स लिंक उत्सव वेंचर्स (पी) लिमिटेड (एसपीवी पार्टनर्स मेसर्स लिंक प्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट

		लिमिटेड)
ii	Haryana	एसपीवाई मेसर्स लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्रा. लिमिटेड (एसपीवाई पार्टनर्स कंपनी लिंक प्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)
iii	Uttarakhand	एसपीवी मेसर्स लिंक उत्सव एचएसआरपी प्रा. लिमिटेड (एसपीवी पार्टनर्स मेसर्स लिंक प्वाइंट एलएनएफएमस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)
iv	Delhi	एसपीवी मेसर्स रोसमेर्टा एचएसआरपी वेंचर्स प्रा. लिमिटेड (एसपीवी पार्टनर्स मि. रोसमेर्टा टेक्नोलॉजी लिमिटेड और मि. उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)
v	Andhra Pradesh & Telangana	एसपीवी मेसर्स लिंक ऑटोटेक प्रा. लिमिटेड (एसपीवी और पार्टनर्स मिस. लिंक प्वाइंट एलएनफियास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)

vi	West Bengal	कंसोर्टियम पार्टनर्स मिस. उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड, मिस. सुब्बा माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड और मेसर्स एम. एस. एसोसिएट्स
vii	Bihar	कंसोर्टियम पैटनर्स मैसर्स लिंक प्वाइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड और मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड)।

जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, मेसर्स उत्सव मेसर्स लिंकपॉइंट के साथ एसपीवी साझेदारी में है। नियम एसओ और अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण, एसपीवी-एम/एस लिंकपॉइंट एलएनफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंध दिया गया; प्रा. लिमिटेड को रद्द कर दिया गया था और मामला मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

23. इससे पहले कि हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों की खूबियों पर विचार करें, यह चर्चा करना जरूरी है कि टीएसी और सीओपी क्या हैं:-

<u>अनुमोदन प्रमाणपत्र (टीएसी) और उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) का प्रकारः</u>

एक बार जब किसी व्यक्ति को एच. एस. आर. पी. के निर्माण के लिए सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे बोलीदाता को निर्माण शुरू करने से पहले परीक्षण एजेंसी से टी. ए. सी. और सी. ओ. पी. प्राप्त करना होता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 50 पंजीकरण चिह्नों के प्रदर्शन के रूप और तरीके का प्रावधान करता है। नियम 50 परीक्षण एजेंसी को एच. एस. आर. पी. के निर्माण के

लिए व्यक्तिगत निर्माता को टी. ए. सी. देने के लिए अधिकृत करता है। नियमों के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप। वर्तमान में टीएसी जारी करने के लिए चार परीक्षण एजेंसियां हैं जिनमें भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान संघ (ए. आर. ए. आई.); वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वी. आर. डी. ई.); केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी. आर. आर. आई.), नई दिल्ली शामिल हैं। टीएसी के लिए आवेदन करने के लिए एचएसआर प्लेटों के निर्माण के पूरा होने के बाद एचएसआर प्लेटों के निर्माण के लिए सफल बोलीदाता को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और नियमों के तहत विनिर्देशों के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त प्लेटों के प्रोटोटाइप नमूने जमा करने होंगे। ड्राइंग के अनुमोदन की संक्षिप्त जांच के बाद, प्रत्येक निर्माता को संस्थान द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त प्लेटों के प्रोटोटाइप नमूने जमा करने होंगे। एच. एस. आर. पी. नमूनों का परीक्षण और मूल्यांकन राजपत्र अधिसूचनाओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार होगा। मेसर्स उत्सव को शुरू में ए. आर. ए. आई. द्वारा 08.07.2002 पर टी. ए. सी. जारी किया गया था और 07.08.2003 पर उत्पादन की पहली अनुरूपता प्राप्त हुई और बाद में इसका नवीनीकरण किया गया।

24. छठे प्रत्यर्थी (ए. आर. ए. आई.) द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि निर्माण प्रक्रिया के दो चरण हैं-पहले टी. ए. सी. धारक के संयंत्र/कारखाने में किया जाता है और उसके बाद संबंधित आर. टी. ओ. द्वारा आवंटित पंजीकरण को उभारा जाता है जो आर. टी. ओ. परिसर में किया जाना है। निर्माण और स्थापना प्रक्रिया के दो चरणों का विवरण इस प्रकार हैः -

टी. ए. सी. धारक के संयंत्र/कारखाने में की जाने वाली प्रक्रियाएँः

• रिफ्लेक्टिव शीट, एल्यूमीनियम प्लेट, क्रोमियम आधारित होलोग्राम, हॉट स्टैम्पिंग ब्लैक फॉयल फिल्म और प्लेटों को ठीक करने के लिए गैर-हटाने योग्य स्नैप लॉक आदि कच्चे माल की खरीद।

• एल्यूमीनियम प्लेट पर आई. एन. डी. के नीले रंग के समर्थन के साथ परावर्तक शीट का लैमिनेशन।

• लेमिनेशन के बाद रिफ्लेक्टिव शीट पर होलोग्राम की गर्म मुद्रांकन।

• खाली प्लेट पर मुहर लगाना।

• प्लेट के किनारे का गठन।

• अद्वितीय सुरक्षा लेजर कोडिंग संख्या क्रमिक रूप से चल रही है जिसमें दो आवंटित वर्णमालाएँ हैं जो टी. ए. सी. में दी गई विशिष्ट संख्या से पहले हैं।

<u>आर. टी. ओ. परिसर में ली जाने वाली प्रक्रियाएँ:</u>

• आर. टी. ओ. द्वारा स्थित पंजीकरण संख्या के साथ-साथ आवंटित संख्या पर और प्लेट के किनारे पर नीले रंग के वर्णक शिलालेख के साथ काली पन्नी की गर्म मुहर लगाना।

• होलोग्राम, लेजर कोडिंग संख्या, आर. टी. ओ. का नाम, इंजन संख्या, चेसिस संख्या, आर. टी. ओ. द्वारा सामने और पीछे की प्लेटों के लिए आवंटित पंजीकरण संख्या वाली विनाशकारी फिल्म पर तीसरा स्टिकर बनाना।

• स्नैप लॉक का उपयोग करके वाहन पर तैयार एच. एस. आर. पी. का निर्धारण और चार पहियों वाले वाहनों के लिए विंड स्क्रीन पर तीसरा स्टिकर लगाना।

25. विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्ट और निरीक्षण दल की रिपोर्ट से यह देखा गया है कि मेसर्स रोसमेर्टा किसी भी राज्य में तकनीकी भागीदार या वित्तीय भागीदार (एनसीटी दिल्ली को छोड़कर) नहीं है। मेसर्स उत्सव को एचएसआरपी बनाने का टेंडर मिला है। 2001 के एचएसआरपी आदेश के अनुसार, एचएसआरपी को परीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। असम राज्य में मेसर्स रोसमेर्टा की विनिर्माण इकाई को किसी भी परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। सीओपी दिशानिर्देशों के अनुसार, एचएसआरपी के निर्माता को परीक्षण एजेंसी को सूचित करना होगा जिसने विनिर्माण शुरू होने के एक महीने के भीतर टीएसी प्रदान की थी और उसके बाद प्रत्येक पंद्रह लाख प्लेटों के निर्माण या दो साल बाद, जो भी पहले हो, सूचित करना होगा। जैसा कि पहले देखा गया था, निरीक्षण दल की दिनांक 29.11.2013 की रिपोर्ट के अनुसार, मेसर्स रोसमेर्टा-असम प्लांट ने कुल 5725221 रिक्त एचएसआरपी का निर्माण किया था और सभी राज्यों के कंसोर्टियम भागीदारों को वितरित किया था। हालाँकि, मेसर्स रोज़मेर्टा को परीक्षण एजेंसी से सीओपी प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, जाहिर है कि मेसर्स रोज़मेर्टा असम प्लांट में निर्मित एचएसआरपी परीक्षण एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका है।

26. मेसर्स उत्सव ने आई. ए. No.3/14 दिनांक 25.02.2014 दाखिल करते हुए कहा कि दिल्ली के एन. सी. टी. में मेसर्स रोसमेर्टा के साथ मेसर्स उत्सव का संयुक्त उद्यम संघ अनुमोदित निर्माता है। मेसर्स लिंकप्वाइंट (एस. पी. वाई. भागीदारों) के साथ कंसोर्टियम में मेसर्स उत्सव हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और आंध्र प्रदेश राज्यों में अनुमोदित निर्माता है, जबकि मेसर्स उत्सव ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे इसने विनिर्माण प्रक्रिया पर नियंत्रण खो दिया है, सी. ओ. पी. का उल्लंघन है, और असम राज्य में स्थित मेसर्स रोसमर्टा द्वारा एच. एस. आर. पी. का निर्माण और आपूर्ति भी है जिसे किसी भी परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित

नहीं किया गया है और यह कि सी. एम. वी. नियमों और सी. ओ. पी. दिशानिर्देशों के नियम 50 का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि, बाद में मेसर्स उत्सव ने उक्त आई ए संख्या 3114 को वापस बुलाने के लिए आवेदन दायर किया, आई ए संख्या 3/14 में किए गए कथन एक ओर मेसर्स उत्सव तकनीकी भागीदार और दूसरी ओर मेसर्स रोसमर्टा और मेसर्स लिंकप्वाइंट के बीच रियायत समझौते की वास्तविक सच्चाई के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।

27. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारे विचार में, सी. एम. वी. नियमों के नियम 50 और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रतीत होता है। सवाल यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उत्तरदाताओं/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। एम/एस। उत्सव ने इस आशय का वचन दिया है कि भविष्य में वह खाली प्लेट निर्माण को नौकरी के रूप में आउटसोर्स नहीं करेगा और एच. एस. आर. पी. योजना अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू की जाएगी। मेसर्स उत्सव का उपक्रम इस प्रकार हैः

• उस उत्सव के पास टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट (टीएसी) और कंफार्मिटी ऑफ प्रोडक्शन (सीओपी) है, जिसके पास आज की तारीख में प्लॉट संख्या 3A, चरण IV, औद्योगिक क्षेत्र, गोलेमठ, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश-174201 में एक विनिर्माण सुविधा है।

• मैं एतद्वारा कहता हूं कि उत्सव अनुबंध के नियमों और शर्तों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से खाली प्लेट निर्माण (जैसा कि नवंबर 2013 तक असम में किया जा रहा था) को नौकरी के रूप में आउटसोर्स नहीं करेगा। उत्सव, जिसके पास टी. ए. सी. प्रमाण पत्र है, हिमाचल प्रदेश में अपने संयंत्र में खाली प्लेटों का निर्माण करेगा और एच. एस.

आर. पी. योजना का कार्यान्वयन राज्य परिवहन अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थान पर अनुबंध के नियमों और शर्तों और एम. वी. नियमों/आदेश के अनुसार किया जाएगा।

• ...उत्सव की ऐसी कोई भी अन्य/अतिरिक्त इकाई किसी अन्य स्थान पर विनिर्माण गतिविधि शुरू करने की स्थिति में, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अधिनियम, नियम, आदेश आदि से लागू होने वाले लागू मानदंडों और आवश्यकताओं और संबंधित निविदाओं के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन लिए जाएंगे, जैसा कि स्वीकार किया गया है। उस स्थिति में, उत्सव न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किसी भी अन्य स्थान पर निर्माण कर सकता है। ऊपर दिए गए पैरा 4 में दिया गया बयान ऐसी किसी भी विनिर्माण गतिविधि पर समान रूप से लागू होगा।

मेसर्स उत्सव द्वारा दायर उपक्रम को ध्यान में रखते हुए और समय बीतने पर विचार करते हुए, हम अवमानना कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं।

28. हालाँकि, हम अवमानकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन संबंधित राज्यों के लिए यह खुला है कि वे मेसर्स उत्सव या संबंधित एस. पी. वी. के खिलाफ उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए आगे बढ़ें या उसके संज्ञान में लाए जाएं। यह ध्यान दिया जाए कि प्राधिकरण के निर्देशों और वैधानिक उल्लंघनों के निरंतर गैर-अनुपालन को देखते हुए, मध्य प्रदेश राज्य ने अपने आदेश No.1538 दिनांक 19.06.2014 द्वारा रियायत समझौते को समाप्त कर दिया है। मेसर्स लिंक उत्सव ऑटो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3654 2014 दायर की और उक्त समाप्ति को उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 05.08.2014 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया कि मेसर्स लिंक उत्सव ऑटो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का

पर्याप्त अवसर नहीं मिला और न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने की अवधि के भीतर एक नया कारण बताएँ नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की। मैसर्स लिंक उत्सव ऑटो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को नया अवसर देने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य ने अपने दिनांक 17.10.2014 के आदेश से रियायत समझौते को समाप्त कर दिया। दिल्ली सरकार ने मैसर्स रोसमर्टा एच. एस. आर. पी. वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस न्यायालय की वैधानिक योजना और आदेशों के गैर-अनुपालन/उल्लंघन के लिए दिनांकित 10.03.2014 का कारण बताएँ नोटिस भी जारी किया। हम यह स्पष्ट करते हैं कि दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों के लिए यह खुला है कि वे इस न्यायालय की वैधानिक योजना और आदेशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में रियायत समझौते के धारकों के खिलाफ कार्रवाई करें।

29. ए. आर. ए. आई. की ओर से डी. जी. एम. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि ए. आर. ए. आई. अधिसूचित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सी. एम. वी. आर.) और उसमें निर्दिष्ट मानकों के अनुसार प्रोटोटाइप मोटर वाहनों और उनके सुरक्षा महत्वपूर्ण घटकों को मंजूरी देता है। परीक्षण सहित दस्तावेजों के सत्यापन पर, सीएमवीआर का अनुपालन स्थापित होने के बाद टीएसी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार, एम. ओ. आर. टी. एंड एच. ने पत्र संख्या आर टी 11028/5/2002 एम. वी. एल. दिनांक 04.09.2002 के माध्यम से उत्पादन की अनुरूपता (सी. ओ. पी.) प्रक्रिया जारी की और उपरोक्त पत्र में पहले सी. ओ. पी. और बाद के सी. ओ. पी. के दौरान परीक्षण एजेंसी द्वारा की जाने वाली जाँच का प्रावधान है। इस विषय पर किसी विशिष्ट अधिसूचना के अभाव में, इसे सीओपी जारी करने के लिए दिशानिर्देशों के रूप में माना गया था। उक्त पत्र इस प्रकार हैः -

सीओपी प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगेः

• संभावित विक्रेताओं को देश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के बाद संबंधित परीक्षण एजेंसी को सूचित करना होगा जिसने विनिर्माण शुरू होने के एक महीने के भीतर टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान किया था। परीक्षण एजेंसी उत्पादन शुरू होने की तारीख (सीओपी) के तीन महीने के भीतर संयंत्र से प्लेटों के नमूने लेगी और सभी परीक्षण करेगी, जो टाइप अनुमोदन चरण में किए गए थे।

• पहला सी. ओ. पी. निर्माता के संयंत्र में आयोजित किया जाएगा और बाद में सी. ओ. पी. विक्रेता के परिसर से यादृच्छिक रूप से लिए गए नमूनों के आधार पर किया जाएगा। अनुलग्नक-1 के अनुसार जाँच पहले और बाद के सीओपी में की जा सकती है।

• सी. ओ. पी. के समय सभी परीक्षण, जैसे दृश्य परीक्षण, प्लेट की लेजर ब्रांडेड स्थायी पहचान संख्या की स्थिति, प्लेटों को जारी करने के संबंध में आर. टी. ओ. के रिकॉर्ड आदि किए जाएंगे, सिवाय मौसम परीक्षण के जो दो साल में एक बार किया जा सकता है। पहले और बाद के सी. ओ. पी. में किए जाने वाले परीक्षणों का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

• सीओपी की आवृत्ति 5 लाख नंबर प्लेट या छह महीने, जो भी पहले हो, होगी।

30. याचिकाकर्ता की मुख्य चिंता यह है कि मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास ए. आर. ए. आई. द्वारा जारी टी. ए. सी. है, को अपने संयंत्र में एच. एस. आर. पी. का निर्माण करना है और वह मेसर्स लिंकप्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसे अन्य संघ भागीदारों को अधूरे प्लेट या नौकरी नहीं दे सकता है, जो विभिन्न राज्यों में अवैध एच. एस. आर. पी. बेच रहे हैं। जहाँ तक मैसर्स लिंकप्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रोसमर्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की गतिविधियों का संबंध है, ए. आर. ए. आई. की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ए. आर. ए. आई. ने कहा है कि नौकरी के काम

में उसकी कोई भूमिका नहीं है और मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड अपने कब्जे में सभी सुरक्षा सुविधाओं पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करेगा और खुले बाजार में पंजीकरण प्लेट पर किसी भी सुरक्षा सुविधा के उपयोग के लिए स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिम्मेदार होगा।

31. निदेशक, सी. आर. आर. आई. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि सी. आर. आर. आई. उन एजेंसियों में से एक है जो प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कानून द्वारा सशक्त है। टी. ए. सी. जारी करने के परिणामस्वरूप, सी. आर. आर. आई. को प्रत्येक टी. ए. सी. धारक के लिए उत्पादन की अनुरूपता (सी. ओ. पी.) कार्यवाही करनी होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि टीएसी होल्डिंग कंपनियों द्वारा निर्मित एचएसआर प्लेट वास्तव में टीएसी और एचएसआरपी योजना की शर्तों के अनुरूप हैं।

32. भारत संघ की ओर से 05.09.2014 पर दायर जवाबी हलफनामे में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत संघ की भूमिका वाहनों पर एच. एस. आर. पी. की स्थापना को अनिवार्य करने वाले नियमों को अधिसूचित करने, एच. एस. आर. पी. के मानकों और विनिर्देशों को अधिसूचित करने और परीक्षण एजेंसियों को प्लेटों का परीक्षण करने, उपरोक्त विनिर्देशों के आधार पर विक्रेताओं के प्रकार अनुमोदन और कार्यान्वयन की तारीख को अधिसूचित करने तक सीमित है। भारत संघ ने 'द मोटर व्हीकल (न्यू हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) ऑर्डर 2001' के माध्यम से मानक और विनिर्देशों को संशोधित किया है और परीक्षण एजेंसियों को भी अधिसूचित किया है। भारत संघ द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह कहा गया है कि भारत संघ द्वारा बनाए गए नियमों और 'मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2001' के अनुसार योजना का कार्यान्वयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है जिसे संबंधित राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है।

33. भले ही भारत संघ ने कहा है कि भारत संघ द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार योजना का कार्यान्वयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है, हमारे विचार में, भारत संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करके एच. एस. आर. पी. परियोजना में लगी विनिर्माण इकाइयों की नियमित जांच हो। इसी तरह, दिनांकित 04.09.2002 पत्र में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह ए. आर. ए. आई. के लिए है कि वह उक्त पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार प्लेटों की जांच करे और जब भी उल्लंघन/विचलन होता है तो वह कड़ी कार्रवाई करता है।

34. यद्यपि हम अभी तक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं हैं ताकि वैधानिक प्राधिकरण योजना के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रख सकें, लेकिन एच. एस. आर. पी. योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश/दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक हैः -

i. राज्य सरकारें सीएमवी नियमों के नियम 50 और 2005 की रिट याचिका संख्या 510 में इस न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि चयनित निर्माता संतोषजनक रूप से आवश्यक क्षमता और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम हैं जिससे जमीनी स्तर पर सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकारें केवल उन्हीं टी. ए. सी. निर्माताओं का चयन और प्राधिकरण सुनिश्चित करेंगी जो राज्य में अपेक्षित संख्या में एच. एस. आर. पी. के निर्माण और आपूर्ति के लिए वित्तीय और तकनीकी रूप से सक्षम हैं।

ii एच. एस. आर. पी. का निर्माण टी. ए. सी. और सी. ओ. पी. के अनुदान से शुरू होता है। इसलिए, एच. एस. आर. पी. उत्पाद विनिर्देशों, प्रक्रिया अनुपालन और समग्रता

में परिचालन प्रक्रियाओं में शामिल सभी पहलुओं का परीक्षण एजेंसियों द्वारा आवधिक मूल्यांकन, समीक्षा और लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है। परीक्षण एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि गुणवत्ता और विशिष्टताओं से समझौता नहीं किया जा रहा है।

iii. इसके अलावा, एच. एस. आर. पी. अनुबंध एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अनुसार दिए जाने चाहिए। किसी भी बोली को स्वीकार करने और अनुबंध में प्रवेश करने से पहले स्थलाकृतिक और भौगोलिक स्थिति, वाहनों की आबादी, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, रसद, उपकरण और मानव संसाधन आदि के प्रबंधन की लागत जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

iv. अधिकृत एच. आर. एस. पी. निर्माता हस्ताक्षरित अनुबंध के नियमों और शर्तों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से खाली प्लेट निर्माण को नौकरी के रूप में आउटसोर्स नहीं करेगा। एच. एस. आर. पी. योजना रियायत पाने वाले द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर अनुबंध और एम. वी. नियमों/आदेश के नियमों और शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए।

v. अधिकृत निर्माता को अधिनियमों और नियमों के अनुसार अन्य/अतिरिक्त विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में, यह निर्देश दिया जाता है कि उत्सव की ऐसी कोई भी अन्य/अतिरिक्त इकाइयां किसी अन्य स्थान पर विनिर्माण गतिविधि शुरू करती हैं, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और लागू मानदंडों और अधिनियम, नियमों, आदेश आदि से प्रवाहित आवश्यकता और संबंधित निविदाओं के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन लिए जाएंगे, जैसा कि स्वीकार किया गया है।

vi. एच. एस. आर. पी. निर्माताओं को निविदा दस्तावेजों में बताए अनुसार संयंत्र में एच. एस. आर. पी. परियोजना की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए, अर्थात्ः

(क) रिफ्लेक्टिव शीट, एल्यूमीनियम प्लेट, क्रोमियम आधारित होलोग्राम, हॉट स्टैम्पिंग ब्लैक फॉयल फिल्म और फिक्सिंग प्लेटों के लिए नॉन-रिमूवेबल स्नैप लॉक आदि जैसे कच्चे माल की खरीद;

(ख) एल्यूमीनियम प्लेट पर एल. एन. डी. के ब्लू एंडोर्समेंट वाले रिफ्लेक्टिव शीट का लैमिनेशन;

(ग) लेमिनेशन के बाद रिफ्लेक्टिव शीट पर होलोग्राम की गर्म मुद्रांकन;

(घ) खाली प्लेट की मुद्रांकन;

(ङ) प्लेट के किनारे का निर्माण;

(च) अद्वितीय सुरक्षा लेजर कोडिंग संख्या को क्रमिक रूप से चलाना जिसमें दो आवंटित वर्णमालाएँ हैं जो टीएसी में दी गई विशिष्ट संख्या से पहले हैं;

(छ) चयनित निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम की प्रत्येक प्रक्रिया प्रशिक्षित श्रमिकों की मदद से उसके नियंत्रण में की जा रही है और सुरक्षा मानदंडों को छोड़ने के लिए काम की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को उप-अनुबंध या आउटसोर्स नहीं करना चाहिए।

<u>नोटः-उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं निर्माता के संयंत्र में की जानी चाहिए जैसा कि निविदा दस्तावेजों में बताया गया है।</u>

vii. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सफल बोलीदाताओं या उप-ठेकेदारों या अन्य पक्षों का एच. एस. आर. पी. के विनिर्माण प्रसंस्करण और निर्धारण पर किसी भी तरह से नियंत्रण न हो, जब तक कि कानून के तहत अधिकृत न हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक एकल व्यक्ति वाहनों के निर्माण, मुहरों को

लगाने, अंबरों की छाप और वाहनों पर एच. एस. आर. पी. लगाने के लिए जिम्मेदार है।

viii. एच. एस. आर. पी. के निर्माता द्वारा साप्ताहिक और मासिक विवरणों के साथ प्रतिदिन निर्मित और तैयार की जाने वाली प्लेटों की संख्या का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

ix विनिर्माण इकाई को एच. एस. आर. पी. के उत्पादन और निर्धारण की प्रक्रिया के कार्यान्वयन को सख्ती से नियंत्रित और नियंत्रित करना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारियों को एच. एस. आर. पी. के निर्धारण के लिए अपनाई जा रही उपरोक्त प्रक्रिया की देखभाल करने का निर्देश दिया जाता है और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो राज्य को वापस रिपोर्ट करना चाहिए।

x. परीक्षण एजेंसियां राज्य स्तर के अधिकारी (आरटीओ के पद से कम नहीं) और संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त द्वारा नामित एक विशेषज्ञ की टीम के साथ इकाई का निरीक्षण करेंगी और निर्मित एचएसआरपी को प्रमाणित करेंगी और निर्मित एचएसआरपी परीक्षण एजेंसियों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माता के कारखाने परिसर से बाहर निकलेगी।

xi. राज्य सरकार के परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विनिर्माण इकाइयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और सीएमवी नियमों के नियम 50 और अनुबंध के नियमों और शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के सहयोग से समितियों का गठन करना चाहिए ताकि एच. एस. आर. पी. परियोजना में लगी विनिर्माण इकाइयों पर नियमित रूप से नजर रखी जा सके। इस प्रकार गठित समिति द्वारा समय-समय पर विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए और रिपोर्ट एम. ओ. आर. टी. एच. और संबंधित राज्य के

परिवहन आयुक्त को भी भेजी जानी चाहिए, जिसमें सी. एम. वी. नियमों के नियम 50 के अनुपालन या अन्यथा, अनुबंध के नियमों और शर्तों और टीम द्वारा निरीक्षण और सुझावों के दौरान देखी गई किसी भी कमी पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

xii. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सभी राज्यों में एच. एस. आर. पी. नीति को समयबद्ध तरीके से सख्ती से लागू करना चाहिए।

xiii. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दर्ज करनी चाहिए और उल्लंघन के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

xiv केंद्र सरकार को एचएसआरपी योजना के विचार के पीछे मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वाहन पंजीकरण डेटा का एक राष्ट्रव्यापी सामान्य भंडार बनाना चाहिए और इस तरह जमीनी स्तर पर सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

xv. यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोग इस न्यायालय के नियमों और आदेशों को अक्षरश: सख्ती से लागू करेंगे और स्वेच्छा से या अन्यथा एचएसआरपी के किसी भी मानक को कमजोर नहीं करेंगे। सभी अधिकारियों को बताए गए प्रावधानों के अनुसार एचएसआरपी आदेश को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

xvi. योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा शुरू की गई एचएसआरपी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे मामले में भी, जहां पार्टियों ने कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम की क्षमता में बोली लगाई हो, राज्य संबंधित द्वारा जारी निविदाओं के संबंध में दायित्व के अधीन हो। राज्यों को एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाना होगा जो अंततः एक रियायत समझौते में प्रवेश करेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि एचएसआरपी परियोजना की पूरी जिम्मेदारी एक इकाई/एसपीवी के पास रहेगी जो विनिर्माण, मुहर लगाने, संख्या आदि छापने के लिए जिम्मेदार होगी। यह

निर्देशित किया जाता है कि रियायतग्राही पूरी प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा।

xvii. एक विशेष अभियान आयोजित करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त (यातायात) और डीसीपी (यातायात) को एक विशिष्ट निर्देश जारी किया जाता है और उसका अनुपालन दर्ज किया जाना चाहिए।

xviii केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मोटर वाहन (नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों सहित कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन को सख्ती से विनियमित करने और साथ ही निगरानी करने का निर्देश दिया जाता है।

35. उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के साथ, अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। हालाँकि, यह संबंधित राज्यों को अनुबंध के नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, तो सीएमवी नियमों के नियम 50 और संबंधित राज्य सरकारों के निर्देशों/आदेशों के उल्लंघन के लिए मेसर्स उत्सव या संबंधित एसपीवी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा।

अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक हेमंत सोनी की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।